डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना, आर.ए.एस.

उनवान

महफूज पुत्र शकूर उम्र 69 साल निवासी बागुर मौहल्ला ढोलीखार वार्ड नंबर 30 करौली तहसील करौली

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमति सुमन शर्मा पत्नी सतेन्द्र कुमार उम्र
2. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात व घोषणा खातेदारी

मुकदमा नं. 7/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अब्दुल वाहि**[illegible] [ए]डवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू ....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दि[या] [ज]ाता है व दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी को आराजी खसरा नं[बर] [9]164, 9165, 9167 सम्पूर्ण एवं खसरा नंबर 9166 के 1/6 हिस्से कस्बा करौली पटवार हल्का [illegible] [त]हसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी 2 वादी के हक में राज[स्व] रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल करें। प्रतिवादी 1 को पाबंद किया जाता है कि वह वादी [के] [क]ब्जेकाश्त में कोई रूकावत पैदा नहीं है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

[ब्या]ज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदम[ा] [म]य सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.08.2025 को सन् 2025 को जारी की [ग]ई।

[मु]हर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

[मुद]ई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
[स]टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
[स]टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
[स]टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
[म]हन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra[illegible]
Date: 2025.11.07 10:32:32
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–7/24 तारीख रजु:–22.2.24

उनवान

महफूज पुत्र शकूर उम्र 69 साल निवासी बागुर मोहल्ला ढोलीखार वार्ड नंबर 30 करौली तहसील करौली

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमति सुमन शर्मा पत्नी सतेन्द्र कुमार उम्र
2. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राजात व घोषणा खातेदारी

–::निर्णय::– दिनांक:–18.08.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की अन्य भूमियों साथ खसरा नंबर 9166 रकबा 3 बिस्वा खाता संख्या 561 में से अपना 1/3 हिस्सा में से 1/2 भाग का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6.10.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय किया था उक्त खसरा नंबर की शेष भूमि वादी के पास बदस्तूर रही। जिसका नामान्तरण संख्या 3935 दिनांक 31.10.2022 की उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक हुआ है। जिसमें भी भूमि खसरा नंबर 9166 में से वादी के 1/3 भाग में से आधा 1/2 बेचान के अनुसार अंकन है। पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी वर्ष 2076–2079 में जो लाल स्याही नोट डाला गया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा विक्रय पत्र से व नामान्तरण विरूद्व खाता संख्या 561 की संपूर्ण भूमि खसरा नंबर 9164, 9165, 9166, 9162 के बाबत पूर्ण भूमि का 1/6 हिस्सा का इन्द्राज कर दिया जबकि केवल मात्र विक्रय की गई। भूमि खसरा नंबर 9166 में 1/3 भाग में से आधा भूमि 1/6 भाग का ही अंकन किया जाना था। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा विधि विरूद्व रूप से खाता संख्या 561 की संपूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:32
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/6 के भाग की भूमि की खातेदारी का अंकन कर दिया गया जो विधि विरूद्व रूप से खाता संख्या 561 की संपूर्ण भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/6 के भाग की भूमि की खातेदारी का अंकन कर दिया गया जो विधि विरू, एवं अवैधानिक है तथा वादी उक्त इन्द्राज को दुरूस्त कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 पटवारी द्वारा जमाबंदी में किये गये गलत अंकन के आधार पर वादी की खाता संख्या 561 अपने हिस्से की 1/3 भाग की संपूर्ण भूमि में कब्जा करने एवं वादी को बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी नंबर 1 वादी के कब्जे कास्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रही है। जिसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा वादी प्रतिवादी नंबर 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। खाता संख्या 561 जमाबंदी वर्ष 2076–2079 करवा करौली पटवार क्षेत्र करौली 10 तहसील करौली में वादी की 1/3 भाग की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 9164, 9165, 9167 के बाबत पटवारी हल्का द्वारा संपूर्ण भूमि 1/3 भाग में से 1/6 भाग का इन्द्राज जो प्रतिवादी संख्या 1 के नामा विधि विरूद्व रूप से किया गया है। इसको दुरूस्ती कराकर उक्त भूमि बदस्तूर वादी के नाम दर्ज करने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नंबर 9166 रकबा 3 बिस्वा में से केवल मात्र अपना 1/3 हिस्सा में से 1/2 भाग अर्थात 1/6 भाग का हिस्सा विक्रय किया गया था उक्त नंबर के बाबत ही प्रतिवादी नंबर 1 का इन्द्राज होना था परन्तु पटवारी हल्का द्वारा संपूर्ण भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 भाग का जो इन्द्राज किया है वह विधि विरूद्व है। जिसको वादी हटवाने का इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वह खसरा नंबर 9164, 9165 एवं 9167 वादी के 1/3 भाग तथा खसरा नंबर 9166 में वादी के 1/6 भाग में वादी के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई मदाखलत एवं बाधा उत्पन्न नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावें। उक्त तथ्य की जानकारी वादी को जमाबंदी की नकल प्राप्त होने पर हुई तब वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 से उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्ती कराने को कहा तो वह दुरूस्ती कराने का वादी को आश्वासन देती रही तथा टालती रही, परन्तु अब एक माह पूर्व गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने से साफ इंकार कर दिया तथा दिनांक 4.2.2024 को अपने सहयोगियों के साथ संपूर्ण भूमि पर कब्जा करने की नीयत से वादी की उक्त भूमि में आ गई तथा वादी के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करने की तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी इस कारण बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता संख्या

Signature Not Verifi
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:32:
Reason: SelfAttested

561 में खसरा नंबर 9166 भाग 1/3 में से 1/2 भाग की विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गई भूमि के स्थान पर पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मियों द्वारा वादी की अन्य भूमि खसरा नंबर 9164, 9165, 9167 संपूर्ण भूमि के बाबत प्रतिवादी नंबर 1 के नाम जो 1/6 भाग की खातेदारी बाबत जो इन्द्राज किया है उसे दुरूस्त फरमाया जाकर केवल मात्र खसरा नंबर 9166 वादी के 1/3 भाग में से 1/2 भाग की अर्थात 1/6 भाग खातेदारी का ही अंकन कराया जावे एवं संपूर्ण भूमि खातेदारी के बाबत हुए विधि विरूद्व इन्द्राज को हटाया जावे। प्रतिवादी नंबर 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 9164, 9165, 9167 के 1/3 भाग में तथा खसरा नंबर 9166 के हिस्सा 1/6 भाग में वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे ना किसी अन्य से करावे। अतः में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलबी नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामील होकर प्राप्त होने के बाबजूद प्रतिवादी उपस्थित नहीं आये। इसलिए प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी व प्रतिवादी के अभिवचनों आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 9166 रकबा 3 बिस्वा वाके कस्बा करौली–10 में वादी ने अपने 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा ही विक्रय की तथा वादी की अन्य भूमि खसरा नंबर 9164, 9165, 9166 व 9167 संपूर्ण भूमि में प्रतिवादी नंबर 1 के नाम 1/6 हिस्से की भूमि खातेदारी राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज कर दी जिसको वादी खसरा नंबर 9166 के 1/3 में से 1/2 हिस्सा यानि 1/6 भूमि को दुरूस्त कराने का अधिकार है।
2. आया वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 9164, 9165 एवं 9167 के 1/3 एवं खसरा नंबर 9166 के 1/6 हिस्से की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान न डालने के लिये प्रतिवादी नंबर 1 को पाबंद कराने का स्थायी निषेधाज्ञा अधिकारी है।

–वादी

3. अनुतोषः–

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:32:3
Reason: SelfAttested

वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वंय का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया एवं दस्तावेजी सबूत में कोई दस्तावेज पेश नही किये।

बहस वकील वादी सुनी गयी। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता संख्या 561 में खसरा नंबर 9166 भाग 1/3 में से 1/2 भाग की विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गई भूमि के स्थान पर पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मियों द्वारा वादी की अन्य भूमि खसरा नंबर 9164, 9165, 9167 संपूर्ण भूमि के बाबत प्रतिवादी नंबर 1 के नाम जो 1/6 भाग की खातेदारी बाबत जो इन्द्राज किया है उसे दुरूस्त फरमाया जाकर केवल मात्र खसरा नंबर 9166 वादी के 1/3 भाग में से 1/2 भाग की अर्थात 1/6 भाग खातेदारी का ही अंकन कराया जावे एवं संपूर्ण भूमि खातेदारी के बाबत हुए विधि विरूद्व इन्द्राज को हटाया जावे। प्रतिवादी नंबर 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 9164, 9165, 9167 के 1/3 भाग में तथा खसरा नंबर 9166 के हिस्सा 1/6 भाग में वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे ना किसी अन्य से करावे। अतः में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील वादी का मनन किया गया। प्रकरण का तनकीबार विवेचन किया उचित है।

विवाद्यक 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में जमाबंदी संवत 2076–2079 प्रदर्श–1 व नामान्तरण संख्या 925 प्रदर्श–2 व नकल वयनामा प्रदर्श–3 पेश किया है। जिसमें वादी द्वारा खसरा नंबर 7594/1, 7595/2, 7599/2, 7995/2 का 1/15 एवं खसरा नंबर 9166 में से 1/6 हिस्सा विक्रय किया गया है। जिसके संबंध में नामान्तरण प्रदर्श–2 सही दर्ज किया गया लेकिन जमाबंदी संवत 2076–2079 में संपूर्ण 1/3 हिस्से का नामान्तरण दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जमाबंदी प्रदर्श–1 पर नामान्तरण का अमल गलत दर्ज हुआ है। जिसमें वादी ने स्वंय की साक्ष्य मौखिक से व दस्तावेज से साबित किया है। अतः विवाद्याक संख्या 1 वादी के पक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature Not Ver
Digitally signed by Pre
Date: 2025.11.07 10:
Reason: SelfAttested

विवाद्यक 2 को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी वयनामा प्रदर्श–3 के अनुसार खसरा नंबर 9164, 9165, 9167 के 1/3 हिस्से का एवं खसरा नंबर 9166 के 1/6 हिस्से का खातेदार है। उक्त आराजी

वादी द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 को बयनामे में विक्रय नहीं की गई है। वादी ने भूमि पर अपना कब्जा होना मौखिक साक्ष्य में कथन किया है। वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हकदार है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादी खसरा नंबर 9166 के 1/6 हिस्से का व खसरा नंबर 9164, 9165, 9167 का सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार है। वादी ने खसर नंबर 9166 के 1/6 हिस्से का ही प्रतिवादी नंबर 1 को विक्रय किया है। वादी बयनामा व नामान्तरण के अनुसार अपने हक में इन्द्राज दुरूस्ती कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी एवं दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी को आराजी खसरा नंबर 9164, 9165, 9167 सम्पूर्ण एवं खसरा नंबर 9166 के 1/6 हिस्से कस्बा करौली पटवार हल्का 10 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी 2 वादी के हक में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल करें। प्रतिवादी 1 को पाबंद किया जाता है कि वह वादी के कब्जेकाश्त में कोई रूकावत पैदा नहीं है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **18.08.2025** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमरा...

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2025.11.07 10:32:32 IST
Reason: SelfAttested